उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद-।

संख्या: चार-2-निर्देश-2009 दिनांक: दिसम्बर ३०, 2009

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।

विषय:- वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य-सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण/पुनरीक्षण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-सा-3-1541/दस-2008/97 टी0सी0 दिनांक 07 जनवरी, 2009 का अवलोकन करें। सुलभ संदर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है।

2- शासन के उपरोक्त संदर्भित शासनादेश के आलोक में अनुरोध है कि दिनांक 1-1-2006 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में कर्मी के सेवानिवृत्ति के समय का तथा वर्तमान में छठें वेतन आयोग के आधार पर उस वेतनमान का वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन पद एवं वेतनमान(संलग्न निर्धारित प्रारूप में) प्रमाणित करते हुए सम्बंधित कोषागार को सीधे अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें, जिससे सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को उक्त संदर्भित शासनादेश के आधार पर कोषागार द्वारा पेंशन का संशोधन किया जा सके। उक्त के अतिरिक्त संलग्न प्रारूपों की एक प्रति जनपद/इकाई स्तर पर गठित पेंशनर कल्याण संस्थान को भी हस्तगत कराने की व्यवस्था करें।

संलग्नक:- यथोपरि

भवदीय,

(सनत कुमार)
वित्त नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

प्रतिलिपि सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस पेन्शनर कल्याण संस्थान (रजि0) कमरा नम्बर 419 इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग लखनऊ को दिनांक 11-12-2009 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय के संदर्भ में प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से भी अनुश्रवण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संख्या-सा–3–1541/दस–2008–308/97 टी०सी०

प्रेषक,

बी0 एन0 दीक्षित,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक: 09 जनवरी, 2009

विषयः– वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण/पुनरीक्षण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु शासनादेश संख्या–सा–3–1250/दस–2008, दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 एवं शासनादेश संख्या–सा–3–1520/दस–2008–101(24)/2008, दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 जारी किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 01–01–2006 से पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु शासनादेश संख्या–सा–3–1515/दस–2008–308/97, दिनांक 08–12–2008 जारी किया गया है। उपरोक्त शासनादेशों में पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के कार्यालय से जारी करने की व्यवस्था के कारण यह कठिनाई अवगत करायी जा रही है कि समय-समय पर पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी में परिवर्तन होता रहा है। संबंधित अवधि में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश विभागों में कार्यरत वित्त नियंत्रक, मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन तथा चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के मामले में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र जारी हुए हैं। जिन कार्यालयों से पेंशन स्वीकृति का कार्य हटाया गया है वहां से पेंशन स्वीकृति हेतु सृजित पद भी समाप्त हो गये हैं। ऐसी स्थिति में पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के कार्यालय से जारी किये जाने की व्यवस्था से पुनरीक्षित पेंशन के भुगतान में कठिनाई आयेगी। उक्त कठिनाई के निराकरण एवं उपरोक्त शासनादेशों के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु अग्रेतर निम्नवत् आदेश दिये जाते है :–

(1) शासनादेश संख्या–सा–3–1520/दस–2008–101(24)/2008, दिनांक 11–12–2008 के प्रस्तर–2 के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन पुनरीक्षण सम्बन्धी प्राधिकार-पत्र निर्गत करने का उत्तरदायित्व पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को सौंपा गया है। इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पेंशनर जिनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 30–09–1988 अथवा उसके पूर्व की है एवं जिनके पेंशन प्राधिकार-पत्र महालेखाकार, उ0 प्र0 द्वारा निर्गत किये गये हैं ऐसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन पुनरीक्षण का कार्य कोषाधिकारी स्तर पर किया जायेगा। इस हेतु उक्त शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप–1 पर वांछित सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करते हुये संबंधित कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। महालेखाकार स्तर से पुनरीक्षित प्राधिकार-पत्र निर्गत किये जाने की प्रतीक्षा नहीं की जायेगी अपितु संलग्न प्रारूप–1 पर प्राप्त सूचना के आधार पर संबंधित कोषागारों द्वारा भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 01–09–2008 के प्रस्तर–4.2 के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण कर दिया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या–सा–3–1515/दस–2008–308/97, दिनांक 08–12–2008 द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिनांक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किया जाना है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–4.1 के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही इस शर्त के साथ की जानी है कि पेंशनर के पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी। जहां अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है वहां यह धनराशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में यह रू0 3500/–प्रतिमाह से कम नहीं होगी। इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन की धनराशि संबंधित सरकारी सेवक के दिनांक 01–01–2006 से पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 30 प्रतिशत किन्तु किसी भी दशा में रू0 3500/–प्रति माह से कम नहीं होगी। दिनांक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त समस्त पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण भी कोषागार स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा भले ही पेंशन पारिवारिक पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी कोई हो।

(3) इस शासनादेश के प्रस्तर–1 व 2 के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप–1 पर भर कर उसे प्रमाणित करते हुये संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित कोषागार को प्रेषित किया जायेगा। संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा कि समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के उक्त विवरण दिनांक 31 मार्च, 2009 तक प्रत्येक दशा में कोषागार को प्रेषित कर दिया जाए। कोषागार स्तर पर सूचना प्राप्त होने पर पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही कोषागार द्वारा की जायेगी। पुनरीक्षित पेंशन से संबंधित विवरण संलग्न–2 पर पेंशनर्स को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। पुनरीक्षित पेंशन की एक प्रति पेंशन स्वीकृत अधिकारी को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी। पेंशन स्वीकृत अधिकारी उक्त सूचना के आधार पर अपने अभिलेख को अद्यावधिक कर लेंगे।

(4) 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के शासनादेश के अनुसार अतिरिक्त पेंशन भुगतान किये जाने की कार्यवाही भी कोषाधिकारी स्तर पर की जायेगी।

(5) पेंशनरों की भांति पारिवारिक पेंशनरों को शासनादेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर लेने पर अतिरिक्त पेंशन की सुविधा अनुमन्य है सामान्यतया पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशन अभिलेखों में अंकित नहीं है अतएव समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि के सम्बन्ध में अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को अवगत कराया जायेगा। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखों से इसका परीक्षण करेंगे कार्यालय अभिलेख यथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि या अन्य प्रयोजन हेतु भरे गये नामांकन प्रपत्र अथवा पेंशन प्रपत्र में पारिवारिक पेंशनर की आयु से संबंधित कोई

विवरण उपलब्ध मिलता है तो उसे ही मान्यता प्रदान की जायेगी और तदनुसार कोषागार को उपलब्ध करायेंगे। मात्र आयु का उल्लेख होने पर, (जन्मतिथि का उल्लेख न होने की दशा में) में उस वर्ष की 01 जुलाई को जन्म तिथि माना जायेगा। उपर्युक्त अभिलेखों में आयु का उल्लेख न होने पर पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण-पत्र और यदि हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र उपलब्ध न हो तो ऐसे पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि हेतु ड्राइविंग लाइसेन्स/पैन कार्ड/निर्वाचन पहचान पत्र में अंकित जन्म तिथि यदि कोई हो, को मान्यता दी जायेगी यदि किसी पारिवारिक पेंशन के पास उपरोक्त में से कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नहीं है तो ऐसी स्थिति में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के उक्त आशय का अलग से प्रमाण दिया जाये और ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जन्मतिथि हेतु सी0एम0ओ0 द्वारा दिया गया आयु प्रमाण-पत्र मान्य होगा। पेंशन प्रपत्रों में पूर्व से ही पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशनर की आयु से अधिक अंकित होने पर उसे भी मान्यता प्रदान की जायेगी अन्यथा की स्थिति में पारिवारिक पेंशनर की आयु पेंशनर की आयु से अधिक अवगत कराये जाने पर पेंशनर की आयु को ही पारिवारिक पेंशनर की आयु माना जायेगा।

भवदीय,
बी0 एन0 दीक्षित,
सचिव, वित्त।

<u>संख्या सा–3–1541(1)/दस–2008–308/97 टी०सी०, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियाँ (कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 प्रतियाँ)

(कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पाँच प्रतियाँ)।

प्रारुप

सेवा में,

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

____

विषय :— शासनादेश के अनुसार दिनांक 01—01—2006 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधित करने का कष्ट करें। अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिये हैं:—

1—सरकारी कर्मचारी/पेंशन भोगी का नाम ______________________

2—सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख ______________________

3—तारीख, जिससे पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित की जा रही हो ______________________

4—पेंशन भुगतानादेश संख्या ______________________

5—पेंशनभोगी/दिवंगत सरकारी कर्मचारी के अन्तिम कार्यालय/विभाग का नाम तथा उसके द्वारा धारित पद ______________________

6—पेंशन भुगतानादेश जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम ______________________

7—पेंशन संवितरण प्राधिकारी का पदनाम (बचत खाता संख्या, जहाँ लागू हो) ______________________

8—अन्तिम धारित पद का वेतनमान तथा अन्तिम आहरित वेतन ______________________

9—सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय के पद के वेतनमान का दिनांक 01—01—2006 से पुनरीक्षित पे—बैण्ड एवं ग्रेड पे ______________________

10—कर्मचारी की अर्हकारी सेवा अवधि ______________________

11—पेंशनर श्री/श्रीमती ______________________ की जन्मतिथि ______________________ है। पारिवारिक पेंशनर श्री/श्रीमती/कु0 ______________________ की जन्मतिथि ______________________ है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

पदनाम मुहर सहित।

संलग्नक–2

शासनादेश संख्या–सा–3–1515 / दस–2008–308 / 97, दिनांक 08–12–2008 एवं शासनादेश संख्या–सा–3–1520 / दस–2008–101(24) / 2008, दिनांक 11–12–2008 के अन्तर्गत दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्रः–

कोषागार का नाम ____________

1–पेंशनर का नाम ____________

3–कार्यालय का नाम ____________

4–पेंशनर की जन्म तिथि ____________

5– (1) सेवा प्रारम्भ करने की तिथि ____________

(2) सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तिथि ____________

(3) अर्ह सेवा अवधि ____________ वर्ष ________ माह ________ दिन ________

6– (1) 01–01–1996 को अनुमन्य वेतनमान : ____________

(2) 01–01–2006 को समकक्ष पे बैण्ड एवं ग्रेड पे : ____________

7–(1) पेंशन आगणन

(1) 01–01–2006 को वर्तमान पेंशन रु0 ________

(2) वर्तमान पेंशन के आधार पर समेकित पेंशन रु0 ________

(3) वेतन के न्यूयतम पे बैण्ड एवं ग्रेड पे के आधार पर आगणित पेंशन। रु0 ________

(4) देय पेंशन जो उपरोक्त में से लाभप्रद हो रु0 ________

(5) राशिकृत भाग को कम करते हुए शुद्ध देय पेंशन रु0 ________

(2) पारिवारिक पेंशन

(1) पारिवारिक पेंशनर का नाम रु0 ________

(2) पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि रु0 ________

(3) 01–01–2006 को वर्तमान पारिवारिक पेंशन रु0 ________

(4) वर्तमान पारिवारिक पेंशन के आधार पर समेकित पेंशन* रु0 ________

(5) पे बैण्ड के न्यूनतम व ग्रेड पे के आधार पर आगणित पारिवारिक पेंशन* रु0 ________

(6) बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन रु0 ________

(7) साधारण दर पर अनुमन्य पारिवारिक पेंशन रु0 ________

* (क्रमांक–4 एवं 5 में से जो लाभप्रद हो)

(3) अतिरिक्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन

(1) 80 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम आयु–मूल पेंशन / पारि० पेंशन का 20%

(2) 85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम आयु–मूल पेंशन / पारि० पेंशन का 30%

(3) 90 वर्ष से अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम आयु–मूल पेंशन / पारि० पेंशन का 40%

(4) 95 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम आयु—मूल पेंशन/पारि० पेंशन का 50%

(5) 100 वर्ष अथवा अधिक आयु ———————— मूल पेंशन/पारि० पेंशन का 100%

लेखाकार   स0 कोषाधिकारी   कोषाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–पेंशन स्वीकृत अधिकारी ————————————————

2–पेंशन श्री/श्रीमती ————————————————

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 106 सा० वित्त–22–1–2009–(1867)–8000 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।

Data-1-106 sa vitt-09